तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 157/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.07.19 में उसके द्वारा (1) तहसीलदार लूणी के द्वारा राजस्व गांव कांकाणी में लगे हुए स्टोन केशर के संबंध में माडल प्रमाण पत्र वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक स्टोन केशर की आबादी एवं अन्य क्षेत्रों से दूरी की सत्यापित किये गये मैसर्स ललित प्रकाश तायल पुत्र लक्ष्मीप्रकाश तायल बी-51, शास्त्रीनगर जोधपुर की स्वीकृत लीज एमएल 16/86/1486 दिनांक 21.05.1986 जो खसरा नम्बर 586 में स्थित हेतु हलका पटवारी तत्कालीन एवं तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नियुमानुसार प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	